प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:–ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....278/22 दिनांक.........10/7/2022

2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....धारायें – 7
(2) अधिनियम– ....
(3) अधिनियम...धारायें –..............................
(4) अन्य अधिनियम धारायें...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या....................186 समय.........5:50 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन ... शुक्रवार..दिनांक......08.07.2022...समय 11.20 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की ....दिनांक.....07.07.2022...समय 11.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – लिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थलः–
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब पूर्व व 72 किलोमीटर
(ब) 'पताः– पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड थाना कोतवाली बारां जिला बारां
जरायम देही संख्या.....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – कोतवाली बारां।

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री बाबूलाल
(ब) पिता का नाम – श्री रामनाथ
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 63 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...जारी होने की तिथी...............
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय– खेती
(ल) पता– ग्राम अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां हाल निवास अटरू जिला बारां।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
(1) श्री रामदयाल मधुकर पुत्र श्री पांचूलाल मधुकर जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी जागा बस्ती प्रेमनगर दितीय हनुमान मंदिर के पास कोटा हाल उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तेल फैक्ट्री बारां पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–.......................... शून्य..

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....100000/– रूपये...............................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.07.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को कार्यालय कक्ष मे पूर्व से बैठे हुऐ परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति नागर उम्र 63 साल निवासी ग्राम अन्ताना हाल मुकाम अटरू थाना अटरू जिला बारां से परिचय करवाया परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक लिखित रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री बाबूलाल मय शिकायत प्रार्थना पत्र के अपने कक्ष मे पहुंचा शिकायत का अवलोकन किया तो परिवादी ने बतया कि यह शिकायत प्रार्थना पत्र मैने मेरे परिचित से लिखवाया है। परिवादी ने लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि " प्रार्थी ग्राम अन्ताना थाना अटरू हाल मुकाम अटरू जिला बारा का निवासी है। दिनांक कल 06.07.2022 की बात है कि मेरे पौत्र वत्सल नागर उम्र 16 वर्ष के मोबाईल पर एक अनजान लडकी का फोन आया ओर बहला फुसलाकर तैल फैक्ट्री बारां हनुमान जी के मंदिर के पास बुलाया जहां पर उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। जैसे ही मेरा पौत्र वहा पहुंचा तो अज्ञात लडकी के साथ व्यक्ति ने उसकी गाडी की चाबी निकाल ली व मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थी ने अपने पोत्र से पूंछने पर बताया कि इन लोगो को मै पहले से नही जानता। इसके बाद रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक ने वत्सल को पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां मे अन्दर ले जाकर बैठा लिया दोपहर बाद वत्सल के चाचा सत्येन्द्र के पास सूचना आयी कि आपके भतीजे को हमने छेडछाड के आरोप मे चौकी पर बैठा रखा है दो घण्टे के अन्दर आप यहां आ जाओ। उक्त सूचना पर मै व मेरा पुत्र सत्येन्द्र पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां पहुंचे। जहां बातचीत व आपसी समझाईश के समय पुलिस उप निरीक्षक रामदयाल मधुकर ने हमसे बच्चे वत्सल को छोडने के लिये दस लाख

रूपये रिश्वत की मांग की। हमने दस लाख रूपये देने से मना कर दिया तो पोत्र को आजीवन कारावास करवाने की धमकी दी। काफी देर बाध्य करने पर कि हमारा बच्चा तो बेकसूर है उसे लडकी ने फोन करके बुलाया है वह तो उसे जानता भी नही है यह फिरोती मांगने का षडयंत्र है तो उसे जानता भी नही न ही पहले से कोई बातचीत हुई तो फिर चार लाख रूपये देने को कहा। हमने कहा हमारे पास चार लाख रूपये नही है तो कहा कि दो लाख पचास हजार रूपये तो देने ही पडेगे नही तो जाओ घर पर बच्चा तो जैल जायेगा। प्रार्थी ने उस समय डर कर बडी मुश्किल से पचास हजार की व्यवस्था की तो रामदयाल थानेदार जी ने कहा कि डेढ लाख रूपये कल देकर जाना बच्चे को ले जाओ। डेढ लाख रूपये नही दिये तो फिर गिरफ्तार करके ले जायेगें। प्रार्थी रामदयाल मधुकर जी को रिश्वत नही देना चाहता तथा रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ तथा षडयंत्र करने वाले लडको व अज्ञात लडकी के खिलाफ भी कार्यवाही चाहता हूँ। प्रार्थी का पोत्र वत्सल बेकसूर है कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। इस पर परिवादी श्री बाबूलाल की शिकायत सें मामला रिश्वत लेनदेन भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है, अतः रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर, परिवादी श्री बाबूलाल को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी गयी। कार्यालय के श्री मनोज कुमार कानि. 211 को अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री बाबूलाल सें परिचय करवाया गया ओर परिवादी ने बताया कि मुझे आज ही रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक ने रूपये लेकर पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां पर बुलाया है। वही पर मेरी उनसे रिश्वत संबंधी बात हो जायेगी। परिवादी श्री बाबूलाल को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री मनोज कुमार कानि. 211 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक के पास पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी।

समय 05:00 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि0 ने जर्ये मोबाईल कॉल करके मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी श्री बाबूलाल ने आरोपी से वार्ता होने के बाद मेरे पास आकर बताया है कि मैरी आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक से रिश्वत संबंधी वार्ता हो गयी है ओर उसने कल दिनांक 08.07.2022 को सुबह दस बजे एक लाख रूपये लेकर बुलाया है। अतः ट्रैप कार्यवाही कल दिनांक 08.07.2022 को प्रातः जल्दी की जानी है। इस पर ट्रैप कार्यवाही मे गवाहान की आवश्कता होने से एक तहरीर उप वन सरंक्षक कोटा के नाम श्री बृजराज सिह कानि0 159 को देकर दो स्वतंत्र गवाहान को हमराह कार्यालय हाजा मे लाने हेतु रवाना किया गया। **कुछ देर बाद** श्री बृजराज सिह कानि0 159 दो स्वतंत्र गवाहान 1. संदीप गौतम, वन रक्षक व 2. श्री कैलाश सुमन, कनिष्ट सहायक, कार्यालय उप वन सरक्षक कोटा को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आयें।

समय 07:20 पी.एम. पर परिवादी श्री बाबूलाल व श्री मनोज कुमार कानि0 211 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी के उपस्थित आये। परिवादी श्री बाबूलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पेश करके बताया कि आज हम दोनो आपके कार्यालय एसीबी कोटा से रवाना होकर पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां के पास पहुंचे थें। मैं रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक का पता करके पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां मे डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके अन्दर चला गया था। श्री मनोज जी पुलिस चौकी के आस पास ही रूक गये थे, मैं पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां मे अन्दर जाकर रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक से मिला तो उन्होने मुझे एक लाख रूपये लेकर कल सुबह दस बजे तक लेकर बुलाया है। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड हो गयी है। श्री मनोज कुमार कानि0 211 ने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्ड वार्ता को सुना तो उक्त आरोपी द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये मांगने की पुष्ठि हुई। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी।

इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबूलाल का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा परिवादी श्री बाबूलाल द्वारा पेश शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त गवाहान को पढवाया जाकर ट्रैप कार्यवाही मे सम्मलित होने की सहमति चाही गयी। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। **इस पर** कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री बाबूलाल एंव आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां के मध्य दिनांक 07.07.2022 को हुई, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री मनोज

कुमार कानि. 211 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी श्री बाबूला व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री बाबूलाल ने बताया कि मैं रिश्वत राशि एक लाख रूपये लेकर सुबह आ जाउंगा। इस पर परिवादी व दोनो गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत करके कल दिनांक 08.07.2022 समय 07.00 ए0एम0 पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द करके रूकसत किया गया।

दिनांक 08.07.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल मय रिश्वत राशि एक लाख रूपये लेकर के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। कुछ देर बाद पूर्व के पाबन्दशुदा कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान 1. संदीप गौतम वन रक्षक व 2. कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति नागर धाकड़ उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम अन्ताना हाल मुकाम अटरू कामा अटरू जिला बांरा उपस्थित है। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक के कहने पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000/—रू0 अपने पास से निकाल कर पेश की, जिनमें 500—500 के 200 नोट पेश किये, नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित किये गयें। उपरोक्त सभी 200 नोटों पर श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर लगवाया गया तथा परिवादी श्री परिवादी श्री बाबूलाल की जामा तलाशी गवाह श्री कैलाश सुमन से लिवाई गयी तथा परिवादीके पास स्वयं केमोबाइल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1,00,000/—रू0 के नोट सीधे ही श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दांयी व बांयी जेब में पचास पचास हजार रूपये पृथक पृथक रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे आरोपी अधिकारी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा संभव परिवादी के आस—पास रहकर रिश्वत के लेन—देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगुंठे को घोल में डुबो कर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे गवाहान व परिवादी को दिखा कर समझाईश की गई कि अगर आरोपी व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथों से छुवेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जावेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिंकवा कर गिलास व श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानिके हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत लेन—देन के समय की वार्ता को रिकार्ड करने हेतु मिनी डिजीटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की विधि समझा कर परिवादी परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामनाथ को सुपुर्द किया गया।

इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री बाबूलाल मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप गौतम व श्री कैलाश सुमन मय जाप्ता श्री मनोज कुमार, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मुकेश कुमार कानि0 71, श्री बृजराज कानि0 159 मय श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304 मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के एसीबी चौकी कोटा से बारां के लिये रवाना होकर पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां पहुंचे। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने परिवादी श्री बाबूलाल को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक पुलिस चौकी तेल फैक्ट्री बारां के लिये रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रैप जाल बिछाकर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी श्री बाबूलाल के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मुकिम हुआ।

समय 11:20 ए.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी बाबूलाल ने पुलिस चौकी हाऊसिंग बोर्ड, तेल फैक्ट्री, बारां के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश सुमन एंव श्री संदीप गौतम एवं हमराही एसीबी जाब्ते के पैदल

चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि श्री रामदयाल मधुकर ने मुझ सें रिश्वत राशि अपने हाथ सें प्राप्त कर पहने हुये पेंन्ट की बायीं जेब में रख लिये तथा फिर मैं उनसें अन्य बातें करके बाहर आया तथा आपको इशारा किया। इस पर परिवादी को हमराह लेकर मय गवाहान एवं एसीबी जाब्ते के पुलिस चौकी के अन्दर प्रवेश किया जंहा सामने एक कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर परिवादी ने बताया कि ये ही रामदयाल मधुकर जी हैं, जिन्होने रिश्वत की राशि 1,00,000 रूपये मुझ सें लेकर अपनी पेंट की जेब में रख ली है, इस पर उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामदयाल मधुकर पुत्र श्री पांचूलाल जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी– हनुमान मंदिर के पास, जागा बस्ती, प्रेम नगर (द्वितीय), कोटा शहर हाल उप निरीक्षक, पुलिस चौकी हाऊसिंग बोर्ड, तेल फैक्ट्री बांरा होना बताया तत्पश्चात रामदयाल मधुकर सें परिवादी श्री बाबूलाल सें ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो उसने बताया कि बाबूलाल जी सें ये पैसे तो मैने सीमा मीणा को देने के लिए लिये है, इनके पोते वत्सल का सीमा मीणा नाम की लडकी को लेकर कोई मामला था जिसमें इनके मैने राजीनामा करवाया था जिसकी एवज में मुझे लडकी वाली पार्टी को इनसें लेकर पैसे देने थे जिसके लिए इन्होने 50,000 रूपये तो मुझे पहले दे दिये थे तथा शेष 1,00,000 रूपये अभी दिये हैं जो मैने अपनी पेंट की जेब मे रखे है।

परिवादी ने रामदयाल मधुकर की वार्ता का खण्डन करते हुये कहा कि ये रामदयाल जी झूंठ बोल रहे है दिनांक 06.07.2022 को मेरे पौत्र वत्सल को इन्होने एक लडकी के साथ यंहा चौकी पर बैठा रखा था तथा जब मैं यंहा आया तो इन्होने कहा कि तुम्हारे लडके को छेडछाड के मामले में पकडा हैं तथा ये तो आजीवन कारावास में रहेगा। इस पर मैने निवेदन किया कि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं हैं ये तो इस लडकी व इसके साथ वालों को जानता तक नहीं हैं ये पैसे ऐंठने के लिए इसको उलझा रहे हैं तो भी रामदयाल जी नहीं माने तथा बातचीत के पश्चात इन्होने 4 लाख रूपयों के लिए कहा जब मैने कहा कि मैं तो डेढ लाख रूपये दे सकता हूं इससें ज्यादा नहीं दे सकता नही तो आप बच्चे को जेल भेज दो इस पर ये इन्होने कहा कि चलो ठीक हैं दो लाख रूपये लेकर आओ तो मैने उस समय 50,000 रूपयों की व्यवस्था करके इनको दिये तथा 1,00,000 रूपये बाद में देने की कहकर मैं एसीबी में गया ये रूपये इन्होने स्वयं के लिए लिये हैं इन्होने लडकी वालों को तो इन्होने उस दिन ही हमारे सामने वापस भेज दिया था तथा उनको उन 50,000 रूपयों में सें कुछ भी नहीं दिया था तथा हमारे सामने लडकी वालों को पैसे देने के संबन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई थी।

तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी।

आरोपी श्री रामदयाल मधुकर ने परिवादी सें रिश्वत के 1,00,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर अपनी पेंट की जेब में रखना बताया हैं, अत आरोपी श्री रामदयाल मधुकर की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। चौकी पर पीने पानी के केम्पर सें श्री बृजराज सिंह कानि. नं. 159 सें पानी मंगवाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी रामदयाल मधुकर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी रामदयाल मधुकर की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र गवाह कैलाश को कहा तो स्वंतत्र गवाह ने रामदयाल मधुकर की पेंट की बायी जेब सें पांच– पांच सौ रूपये के दो बण्डल निकालकर दिये, जिनको स्वतंत्र गवाहान सें गिनवाये गये तो वो पांच–पांच सौ रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये थे, उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान सें फर्द पेशकशी सें करवाया तो नोटों के नम्बरों का हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 MS 623934
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 VW 160767
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 GS 982096
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EC 923428

5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 BH 719232
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CN 185165
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 CM 200322
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 HS 612991
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CK 134250
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 PE 967899
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 ET 690477
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 KV 456934
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 KR 701519
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 PV 605325
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 ET 066526
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 FE 671431
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 WF 939541
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EM 711512
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 CU 742047
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EC 353828
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EC 353827
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EC 353826
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GE 229701
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 HH 249580
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 HH 249579
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EF 749268
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CQ 786463
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 EW 334551
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 AU 121999
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 EA 553033
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GR 992312
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 NC 779789
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 UV 280133
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CT 573179
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 AK 957714
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CG 721329
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CG 721327
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EH 459269
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BU 316997
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 EC 559899
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 GU 244446
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DA 470429
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DA 470428
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 KN 836774
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 PT 021444
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 KN 707259
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 BV 178987
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 NC 888476
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 UA 350880
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 QS 487788
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 RQ 141124
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 EV 240940
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 UF 682944
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 PE 739765
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 AA 421066
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 AN 384972

57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 LE 848484
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 PQ 570124
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AU 612299
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 VF 669638
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 MU 797518
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 LF 363946
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 SH 768909
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 DC 465703
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 FW 714185
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 PL 867114
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 WD 390869
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 WB 581324
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CP 015127
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 GR 179208
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BC 319081
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BC 319082
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 CU 930739
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EA 739318
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DD 486304
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BR 058174
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EG 576354
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 CU 737320
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 DV 000119
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BE 837122
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BE 837121
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 PP 902462
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 DG 112828
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 DG 112818
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FW 018808
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BA 268633
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 SU 521943
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 HW 439915
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EF 791193
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 FB 835691
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 GP 610402
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 MV 771082
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 WT 708372
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DD 290283
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 WH 381236
96.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CD 302299
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 TF 436935
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 DQ 823527
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 DQ 499403
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 RK 006426
101.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GV 488895
102.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KU 200441
103.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MM 967729
104.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AU 667555
105.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BN 966471
106.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 WP 970665
107.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 GF 157451
108.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 EG 504483

109.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 GE 406376
110.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 QA 458503
111.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KC 227888
112.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FF 844480
113.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 ST 694936
114.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DD 105609
115.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 PA 587202
116.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 WP 572986
117.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 NM 764929
118.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 QL 410919
119.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 GG 136999
120.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MR 208772
121.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RP 338105
122.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GH 604679
123.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 LM 492981
124.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 SR 076510
125.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EM 063882
126.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UB 524733
127.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 NR 075960
128.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 BU 556154
129.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 RD 607161
130.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 AL 509976
131.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 QU 910644
132.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 VE 886431
133.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 GC 269043
134.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 QR 335971
135.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 DM 736592
136.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EE 368650
137.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 KP 923832
138.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 HF 474944
139.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BK 032747
140.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 EM 363024
141.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KM 713408
142.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 QV 242228
143.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RK 257291
144.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 PD 183955
145.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 GK 534529
146.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CC 534179
147.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 DU 544549
148.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AA 521543
149.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 FP 011016
150.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EL 781876
151.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 DD 761126
152.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 NQ 338291
153.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 MH 035848
154.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 DD 626184
155.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 MQ 786378
156.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 VU 883061
157.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 NA 715731
158.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 HG 218872
159.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PC 027804
160.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BH 780519

161.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 EW 471972
162.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 WN 339010
163.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 FM 063217
164.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 BU 212725
165.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AM 340770
166.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 AA 392276
167.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AM 703931
168.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 MF 884438
169.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GC 923210
170.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KN 983697
171.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 GG 854677
172.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PS 324929
173.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 UF 105798
174.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 LL 852674
175.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 QS 960692
176.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 LC 572785
177.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 KF 290932
178.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AT 426283
179.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AH 584861
180.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EA 724113
181.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UP 288150
182.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AT 964696
183.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 MB 863903
184.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DD 123736
185.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 RG 290559
186.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 ST 127974
187.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DF 329359
188.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 SH 756608
189.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 NE 926843
190.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BU 779793
191.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 RF 872714
192.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 FR 862203
193.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UK 030473
194.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 VG 389462
195.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 CH 868085
196.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UK 752507
197.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KC 674974
198.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RQ 358353
199.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QH 468143
200.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EG 239306

उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर विवरण अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया।

इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री रामदयाल उप निरीक्षक से उसकी पहनी हुई पेंट को उतरवाकर चौकी कक्ष से दूसरी पेंट पहनने को दी गई तथा उतरवाई हुई पेंट की सामने की ऊपरी बांयी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर। मार्क P-1, P-2 तथा पेन्ट को सुखाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी श्री रामदयाल मधुकर से परिवादी से 1,00,000 रूपये जिस कार्य की एवज में लिये हैं के संबंध में पूछा तो बताया कि दिनांक 06.07.2022 को सीमा मीणा पुत्री श्री बीरम मीणा निवासी किशनपुरा जिला झालावाड ने हेमराज के साथ आकर वत्सल उर्फ बालू धाकड के विरूद्ध

छेडछाड एवं उससें कई जगह ले जाकर गलत काम करने की रिपोर्ट दी थी थोडी देर बाद वत्सल उर्फ बालू धाकड भी चौकी पर आ गया था तथा उसके बाद वत्सल के चाचा व दादा भी चौकी पर आये थे इन्होने आपस में बातचीत की तो इनके बीच राजीनामा हो गया था तो सीमा मीणा द्वारा दी गई रिपोर्ट मैने वापस सीमा मीणा को दे दी थी मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है तथा इनसें दिनांक 06.07.2022 को लिये गये 50,000 रूपयों बाबत पूछा तो बताया कि मैने इनसें लिये गये 50,000 रूपये लडकी वाली पार्टी को दे दिये तथा आज लिये गये 100000 रूपये भी मैने सीमा मीणा को देने के लिए ही लिये थे।

आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश सें लिवाई गई तो आरोपी श्री रामदयाल मधुकर की पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में एक पर्स मिला जिसमें 6100 रूपये हैं, जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये, एक मोबाईल Samsung कम्पनी का मॉडल galaxy A52 का डबल सीम मिला, आरोपी के पास मिली राशि एवं मोबाईल को स्वतंत्र गवाह कैलाश के पास सुरक्षित रखवाये गये।

तत्पश्चात चौकी में स्थित आरोपी के निवासरत कमरे की तलाशी स्वतंत्र गवाहान सें लिवाई गई तो कमरे में एक लाल रंग का ट्रोली बेग अमेरीकन टूरिस्टर कम्पनी का व एक काले रंग का सूटकेस वी.आई.पी. कम्पनी का मिला जिनके बारे में रामदयाल सें पूछा तो स्वंय का होना बताया। इस पर लाल रंग के ट्रोली बेग को स्वतंत्र गवाहान सें खुलवाया जाकर तलाशी लिवाई तो उसमें वर्दी एवं अन्य कपडे तथा पांच–पांच सौ रूपये के दो बण्डल जिनमें प्रत्येक में 100–100 नोट कुल 1,00,000 रूपये हैं तथा एक पत्र कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अटरू जिला बांरा का रामदयाल उप निरीक्षक के नाम जिसमें थाना मोठपुर व चौकी बडौरा का वार्षिक व छ माही निरीक्षण नहीं करने का स्पष्टीकरण बाबत है। उक्त पत्र पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात सूटकेस की तलाशी लिवाई तो उसमें एक एलआईसी की इयर डायरी, श्री रामदयाल मधुकर का फार्म नम्बर 16 वर्ष 2021–2022, जनवरी 2022 की पे स्लीप तथा पांच–पांच सौ रूपयों के दो बण्डल कुल 95,500 रूपये मिले। उक्त 1,95,500 रूपयों बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि इनमें सें 50,000 रूपये तो बाबूलाल जी सें लिये जो हैं तथा बाकी के 1,45,500 रूपये मैं घर सें लाया था जो मैने ही इनमें रखे थे। रूपये घर सें किस काम के लिए यंहा लाया था, बाबत पूछा तो कोई जवाब नही दिया, उक्त 50,000 रूपये परिवादी सें पूर्व में प्राप्त रिश्वत राशि के होने सें वजह सबूत जब्त कर एक कागज के पीले लिफाफे में रखाकर विवरण अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। शेष 1,45,000 रूपये के बारे में आरोपी द्वारा दिया गया जवाब स्पष्ट व संतोषप्रद नही होने के कारण 1,45,000 जब्त कर एक कागज के पीले लिफाफे में रखाकर विवरण अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। शेष 1,45,000 रूपये के बारे में आरोपी द्वारा दिया गया जवाब स्पष्ट व संतोषप्रद नही होने के कारण 1,45,000 जब्त कर एक कागज के पीले लिफाफे में रखाकर विवरण अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये।

तत्पश्चात दौराने रिश्वत राशि लेन–देन परिवादी श्री बाबूलाल एंव आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई है, डिजीटल वाईस रिकार्डर से उक्त वार्ता श्री मनोज कुमार कानि. 211 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक पुलिस चौकी प्रभारी हाउसिंग बोर्ड तेल फैक्ट्री बारां को नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपी ने लिखित मे आवाज का नमूना नही देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से लिखा। मूल नोटिस नमूना आवाज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 03:00 पी.एम. पर आरोपी श्री रामदयाल मधुकर पुत्र श्री पांचूलाल मधुकर जाति बैरवा उम्र 57 साल निवासी जागा बस्ती प्रेमनगर दितीय हनुमान मंदिर के पास कोटा हाल उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तेल फैक्ट्री बारां पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां का कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया, फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गऐ।

परिवादी श्री बाबूलाल एंव आरोपी श्री रामदयाल मधुकर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 08.07.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता, जो सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड हुई है, उक्त दोनों वार्ताओं को श्री मनोज कुमार कानि0 211 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटोप मे कॉपी करवाया जाकर उक्त वार्ताओ को चार पैन ड्राईव मे पेस्ट किया गया, जिसमे से एक पैन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पैन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पैन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सीव्ड मोहर की गई। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल

पत्रावली की गई। कपडे की थैलीयो पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगा मैमोरी कार्ड को भी कपडे की थैली मे रखकर सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबूलाल की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गऐ। मन् पुलिस निरीक्षक ने मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री बाबूलाल को मौके से ही रूकसत किया गया।

मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप गौतम व कैलाश सुमन मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिह, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मनोज कुमार शर्मा कानि0 211, मुकेश कुमार सैनी कानि0 71 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी रामदयाल मधुकर उप निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के मय रिश्वत राशि 100000/- रूपये पीले रंग के प्लास्टिक कोटेड लिफाफे मे व अन्य जप्तशुदा राशि 1,95,000/- रूपये, जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 तथा पेन्ट का पैकिट मार्क- पी, तीन पैन ड्राईव कपडे की थैली मे शील्डशुदा व एक अनशील्ड पैन ड्राईव, मैमारी कार्ड का कपडे की थैली मे शील्डशुदा के इमदाद टीम श्री हर्षराज सिह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस मय श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय श्री भरत सिह कानि0 515 के सरकारी वाहन बोलरों मय चालक श्री हेमन्त सिंह कानि0 के पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड बारां से एसीबी चौकी कोटा के लिये पृथक पृथक रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे।

रिश्वत राशि 100000/- रूपये पीले रंग के प्लास्टिक कोटेड लिफाफे मे व अन्य जप्तशुदा राशि 1,95,000/- रूपये, जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 तथा पेन्ट का पैकिट मार्क- पी, तीन पैन ड्राईव कपडे की थैली मे शील्डशुदा व एक अनशील्ड पैन ड्राईव, मैमारी कार्ड का कपडे की थैली मे शील्डशुदा मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

आरोपी श्री रामदयाल मधुकर द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल के पौत्र वत्सल नागर को छेडछाड के आरोप से मुक्त कराने की एवज मे दस लाख (10,00000) रूपये रिश्वत की मांग की, परिवादी द्वारा दस लाख रूपये देने से मना कर देने पर आजीवन कारावास करवाने की धमकी दी, काफी देर बाध्य करने के बाद चार लाख रूपये देने को कहा, परिवादी ने कहा हमारे पास चार लाख रूपये नही है तो कहा कि ढाई लाख रूपये तो देने ही पडेंगे इसके बाद 50,000 हजार रूपये की व्यवस्था की तो डेढ लाख रूपये कल देकर जाने तथा बच्चे को ले जाने के लिए बोला, रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 07.07.2022 को आरोपी रामदयाल मधुकर द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये पूर्व में दिये जाने पश्चात डेढ लख रूपये की ओर मांग करना तथा परिवादी द्वारा गरीब होने की दुहाई देने पर 1,00,000 रूपये ओर देने के लिए सहमत होना तथा दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी द्वारा पुलिस चौकी पर परिवादी से रिश्वत राशि के लेन-देन संबंधी वार्ता कर रिश्वती राशि 1,00,000/रूपये अपने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब मे रखने तथा आरोपी के हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी होना तथा रिश्वत राशि आरोपी की पेंट से बरामद होने तथा पेंट के धोवन का रंग गुलाबी आने एवं तलाशी के दौरान परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये 50,000 रूपये बरामद होने से आरोपी श्री रामदयाल मधुकर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामदयाल मधुकर, उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तेल फैक्ट्री, बारां, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 278/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 2437-41 दिनांक 10.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

10.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर